कार्यालय नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद)।

पत्रांक 25 /न0पा0 /2018 दिनांकः 11 अप्रैल. 2018

–:विज्ञप्तिः–

"नगर पालिका परिषद, मोदीनगर को "खुले में शौच से मुक्त" किये जाने की अन्तिम घोषणा की सार्वजनिक सूचना"

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत पालिका के कुल 19 वार्डो (वार्ड संख्या– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26) को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) घोषित किया जा चुका है। उक्त वार्डो को छोडकर अवशेष 07 वार्ड (वार्ड संख्या– 13, 14, 17, 19, 20, 21 व 23) को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) घोषित कराने हेतु पालिका कार्यालय पत्र संख्या 160/न0पा0/2018 दिनांक 05.03.2018 के द्वारा खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) घोषित कराने सम्बन्धि विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, मोदीनगर व चमकता युग, मोदीनगर के अंक में क्रमशः दिनांक 07.03.2018 व 05.03.2018 में प्रकाशित कराकर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे, जिसमें नियत समयावधि तक कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुआ है।

अतः उपरोक्तानुसार नगर पालिका परिषद मोदीनगर के अवशेष 07 वार्डो सहित कुल 26 वार्डो को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) घोषित किया जाता है।

(अनुज कौशिक)
अधिशासी अधिकारी

(अशोक माहेशवरी)
अध्यक्ष

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री अंकित गोयल, कम्प्यूटर प्रभारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को नगर पालिका की वेबसाइट www.mppmodinagar.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. संपादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, मोदीनगर व राष्ट्रीय सहारा, मोदीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने आगामी अंक पत्र में शासकीय दरों पर कम से कम स्थान पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें एवं प्रकाशित समाचार पत्र की 05 प्रतियों सहित देयक बिल भुगतान हेतु पालिका को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. नगर पालिका परिषद मोदीनगर, के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

11-04-18

(अनुज कौशिक)
अधिशासी अधिकारी